राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/9976 जयपुर, दिनांक : 10/5/22

कार्यालय आदेश 07/2022

विषय :– पूर्ण रूप से निर्मित परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के पंजीयन हेतु वाहन डीलर एवं कार्यालय स्तर पर संपादित होने वाली प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 एवं 48 में संशोधन किये गये है, उक्त संशोधनों के लागू होने से पूर्ण रूप से निर्मित (fully built) मोटर वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाना आवश्यक हो गया है। इन संशोधनों के लागू होने से राज्य में अवस्थित वैध ट्रेड धारक वाहन डीलर द्वारा विक्रय किये गये एवं राज्य में ही पंजीयन होने वाले पूर्ण निर्मित (fully built) वाहनों के लिए अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस हेतु आवेदक जिस जिला परिवहन कार्यालय के पंजीयन कोड में पंजीयन क्रमांक चाहता है, उस जिले के कोड का चुनाव कर आगे की प्रक्रिया संपादित करेगा।

अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में पंजीयन हेतु आने वाले एवं राजस्थान राज्य में अवस्थित वैध ट्रेड धारक वाहन डीलर द्वारा विक्रय के पश्चात अन्य राज्यों में पंजीयन हेतु जाने वाले पूर्ण रूप से निर्मित वाहनों के लिए अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र (TRC) का प्रावधान रहेगा।

पूर्ण रूप से निर्मित (fully built) परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के पंजीयन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

1- **पूर्ण रूप से निर्मित ऐसे गैर–परिवहन वाहन जिनका विक्रय एवं पंजीयन राजस्थान राज्य में ही होना है–** ऐसे वाहनो के पंजीयन हेतु आवेदन वैध ट्रेड प्रमाण पत्र धारक वाहन डीलर द्वारा किया जायेगा एवं पंजीयन अधिकारी राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.1 के अनुसार वैध ट्रेड प्रमाण पत्र धारक वाहन डीलर अथवा उसके नियमित नियोजन में नामित एवं परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा तथा उसके द्वारा संपूर्ण राजस्थान राज्य की अधिकारिता में स्वयं के द्वारा प्रथम विक्रय किये गये नये गैर परिवहन वाहनों का पंजीयन किया जा सकेगा।
2. **पूर्ण रूप से निर्मित ऐसे परिवहन वाहन जिनका विक्रय एवं पंजीयन राजस्थान राज्य में ही होना है–** ऐसे वाहनो के पंजीयन हेतु आवेदन वैध ट्रेड प्रमाण पत्र धारक वाहन डीलर द्वारा किया जायेगा एवं पंजीयन अधिकारी वह जिला परिवहन अधिकारी होगा, जिस जिले का पंजीयन कोड आवेदक द्वारा चुना गया है।
3. **अन्य राज्य से अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र (टीआरसी) प्राप्त पूर्ण रूप से निर्मित वाहनों के पंजीयन हेतु–** ऐसे वाहनो के पंजीयन हेतु आवेदन वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा एवं पंजीयन अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी होगा।
4. उपरोक्त सभी श्रेणी के वाहनो के पंजीयन के संबंध में कराधान अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी होगा।
5. वाहन डीलरों के पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन के समय प्रस्तुत दस्तावेजो का परीक्षण कर मूल दस्तावेजो को ही स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. पोर्टल पर डीलर अथवा वाहन स्वामी (जो भी लागू हो) द्वारा नियमानुसार आवेदन करने और निर्धारित फीस एवं करों का इलेक्ट्रोनिक रूप से भुगतान करने के पश्चात पूर्ण रूप से निर्मित मोटर वाहन के लिए तुरन्त एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सृजित किया जायेगा।

7. मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तिथि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को सृजित करने की दिनांक होगी।
8. डीलर द्वारा वाहन के पंजीयन से पूर्व वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्द नहीं किया जायेगा।
9. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 48(b) के अनुसार पूर्ण रूप से निर्मित एवं प्राधिकृत वाहन डीलर द्वारा विक्रय किये गये मोटर वाहन को प्रथम पंजीयन के समय पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. बीएच सीरीज के मामले में संबंधित जिले के कराधान व जिला परिवहन अधिकारी एवं डीलर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कार्यात्मक प्रमाण पत्र/अधिकारिक पहचान पत्र (जो भी लागू हो) के सत्यापन के पश्चात ही बीएच सीरीज में पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जायेगा।
11. कर एवं फीस में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त मोटर यानो के मामले (कृषि ट्रैक्टर, केवल इलेक्ट्रिक बैटरी चलित वाहन एवं केवल सीएनजी/एलपीजी चलित वाहनों को छोडकर) में कराधान व जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा प्रकरण का परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात ही पंजीयन की कार्यवाही संपादित की जाये।
12. कराधान एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीयन एवं कर व फीस उद्ग्रहण प्रक्रिया का प्रभावी नियत्रंण एवं पर्यवेक्षण किया जाये एवं तथा अनियमितता पाये जाने पर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192(ख) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत यथासमय कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
13. केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार के वाहन डीलरों को उक्त से संबंध में अवगत करवाकर इनकी पालना करवाया जाना सुनिश्चत करें। इसके अतिरिक्त वाहनों के पंजीयन के संबंध में शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगें।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/9977-84 जयपुर, दिनांक : 10/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण /प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट एवं तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
7. समस्त अधिकृत वाहन डीलर।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग